सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 460 दर्ज तिथिः—03.07.2025

1. देवाराम पुत्र चुतराराम
2. पैलादराम पुत्र चुतराराम
3. लक्ष्मी पत्नी चुतराराम
4. मानाराम पुत्र जालाराम
5. पांचाराम पुत्र मलाराम
6. विरमाराम पुत्र मलाराम
7. सेधाराम पुत्र मलाराम
8. अतियो पत्नी मलाराम

जाति रबारी निवासी बातों की ढाणी, ग्राम पंचायत अरटवाव तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. अचलाराम पुत्र कुम्भाराम
2. लिखमाराम पुत्र कुम्भाराम
3. कानाराम पुत्र कुम्भाराम
4. चुनीलाल पुत्र कुम्भाराम
5. भैराराम पुत्र वालाराम
6. चूनाराम पुत्र वालाराम
7. ताजाराम पुत्र वालाराम
8. नैनाराम पुत्र वालाराम
9. हुकमाराम पुत्र नवाराम
10. हेमाराम पुत्र नवाराम
11. पीराराम पुत्र नवाराम
12. लाछीदेवी पत्नी नवाराम
13. वरजू पत्नी दमाराम
14. खेताराम पुत्र दमाराम
15. गणेशाराम पुत्र देवाराम
16. कलाराम पुत्र प्रहलादराम
17. किस्तुराराम पुत्र प्रहलादराम
18. टीकमाराम पुत्र हीराराम
19. भंवरलाल पुत्र हीराराम
20. रमेश पुत्र हीराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

21. रमकूदेवी पत्नी हीराराम
22. मोहनलाल पुत्र नेनाराम
23. लाखाराम पुत्र नेनाराम
    जाति जाट निवासी बांतो की ढाणी, अरटवाव तहसील गुड़ामालानी।

..... प्रतिवादीगण

24. तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री चिमनसिंह
प्रतिवादीः—श्री जगदीश विश्नोई

वाद अन्तर्गत धारा—183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—24.04.2026

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। उक्त आराजी पर वादीगण का वक्त सेटलमेंट से कब्जा चला आ रहा है। वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 426 व 451 मौजा बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। वादीगण अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी हेतु वादीगण द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन संख्या 184/2024 अनवान देवाराम बनाम अचलाराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णय दिनांक 19.09.2024 द्वारा स्वीकार किया जाकर उक्त नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार गुड़ामालानी के आदेश की पालना में भू—अभिलेख निरीक्षक वृत्त गुड़ामालानी एवं हल्का पटवारी सिंधासवा हरनियान ने दिनांक 13.05.2025 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर मुस्तकिल बिन्दु कायम करते हुए सीमाज्ञान कर फर्द मौका, नक्शा तैयार करते हुए नेखमबंदी पूर्ण की गई। जिसमें वादीगण के खसरा संख्या 427 में पड़ौसी खसरा संख्या 426 व 451 के खातेदार प्रतिवादीगण का मौका फर्द दिनांक दिनांक 13.05.2025 में दर्शायी बरंग लाल व हरा भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादीगण ने कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादीगण की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक दिनांक 13.05.2025 में दर्शायी बरंग लाल व हरा भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादी को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादीगण को कब्जा दिलवाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादी के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 15 जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण विधिवत तामिल बावजूद अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा वादपत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे अंतिम बहस करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में तनकीयात कायम करना आवश्यक नहीं होने के कारण पत्रावली को साक्ष्य वादी हेतु नियत किया गया।

3. वादीगण द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत	प्रदर्श
जमाबंदी	जमाबंदी खसरा संख्या 427 संवत 2073—2076 मौजा बांतो की ढाणी	प्रदर्शपी—01
नक्शा	नक्शा खसरा संख्या 427 मौजा बांतो की ढाणी	प्रदर्शपी—02
जमाबंदी	खसरा संख्या 426, 426/2 संवत 2073—2076 मौजा बांतो की ढाणी	प्रदर्शपी—03
नक्शा	नक्शा खसरा संख्या 426 मौजा बांतो की ढाणी	प्रदर्शपी—04
जमाबंदी	जमाबंदी खसरा संख्या 451 संवत 2073—2076 मौजा बांतो की ढाणी	प्रदर्शपी—05
नक्शा	नक्शा खसरा संख्या 451 मौजा बांतो की ढाणी	प्रदर्शपी—06
नेखमबंदी मौका फर्द	राजस्व आवेदन संख्या 184/2024 देवा बनाम अचला नेखमबंदी मौका फर्द मय नक्शा	प्रदर्शपी—07 लगायत 10
आवेदन पत्र	आवेदन पत्र देवा बनाम अचला	प्रदर्शपी—11 लगायत 16

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू.—1	मानाराम पुत्र जालाराम जाति देवासी	बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
पी.डब्ल्यू.—2	हरदाराम पुत्र फुआराम जाति देवासी	बांतो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी साक्ष्य से कोर्ट समय में जिरह नहीं किये जाने से प्रतिवादी अधिवक्ता की जिरह एकतफा। तत्पश्चात प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा दो प्रमुख अनुतोष चाहे गए है। वादीगण का प्रथम अनुतोष वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 मौजा बांतो की ढाणी के पड़ौसी खसरों के खातेदारों का वादीगण की आराजी के आंशिक भाग पर अवैध कब्जा बरंग लाल व हरा को हटवाने हेतु प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। द्वितीय अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है।

6. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

183. Ejectment of certain trespasser—

(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

7. प्रकरण में वादीगण अनुसार प्रतिवादी की आराजी के सीमाज्ञान एवं नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 13.05.2025 के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादी का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादी द्वारा कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी में अवस्थित हैं। प्रदर्शपी—1 व 2 के अनुसार वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 426 व 451 मौजा बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी अवस्थित हैं। प्रदर्शपी—7 लगायत 10 से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरे पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरे पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक तरह से वादी के दावे की स्वीकारोक्ति ही है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरे पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।

9. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक तरह से वादीगण के दावे की स्वीकारोक्ति ही है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः—

> ***(44) "Trespasser"*** *shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

10. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे बरंग लाल व हरा को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। यह एक तरह से वादी के दावे की स्वीकारोक्ति ही है। अतः प्रकरण में प्रथम अनुतोष स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर किए गए कब्जे को हटाकर प्रतिवादी को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार वादीगण का प्रथम अनुतोष वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है।

11. प्रकरण में वादीगण का द्वितीय अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में सर्वप्रथम द्वितीय अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

12. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

	आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

13. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

14. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादी का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं है। क्योंकि वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए गए अवैध कब्जे से वादीगण को कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान होते है। वादीगण को अपनी खातेदारी आराजी पर किसी अन्य व्यक्ति के अवैध अतिक्रमण से होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान नुकसान के आंकलन हेतु कोई स्पष्ट मानक/मापदंड

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

		निर्धारित प्रतीत नही होता है। 2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव नहीं होकर न्यायसंगत होना प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण की आराजी पर पूर्व में हुए अवैध कब्जे से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नहीं है। 2. साथ ही अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या प्रकरण में वादीगण की खातेदारी
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

		आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादी को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी द्वारा किए जा रहे अवैध कब्जे को अनवरत रखने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी के आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा किया हुआ है। वादीगण द्वारा इस हेतु बेदखली का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

		संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

15. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादी द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादीगण की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 13.05.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होना तथा प्रतिवादीगण का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत् अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर बेदखली नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 460 दर्ज तिथिः—03.07.2025

1. देवाराम पुत्र चुतराराम
2. पैलादराम पुत्र चुतराराम
3. लक्ष्मी पत्नी चुतराराम
4. मानाराम पुत्र जालाराम
5. पांचाराम पुत्र मलाराम
6. विरमाराम पुत्र मलाराम
7. सेधाराम पुत्र मलाराम
8. अतियो पत्नी मलाराम

जाति रबारी निवासी बातों की ढाणी, ग्राम पंचायत अरटवाव तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. अचलाराम पुत्र कुम्भाराम
2. लिखमाराम पुत्र कुम्भाराम
3. कानाराम पुत्र कुम्भाराम
4. चुनीलाल पुत्र कुम्भाराम
5. भैराराम पुत्र वालाराम
6. चूनाराम पुत्र वालाराम
7. ताजाराम पुत्र वालाराम
8. नैनाराम पुत्र वालाराम
9. हुकमाराम पुत्र नवाराम
10. हेमाराम पुत्र नवाराम
11. पीराराम पुत्र नवाराम
12. लाछीदेवी पत्नी नवाराम
13. वरजू पत्नी दमाराम
14. खेताराम पुत्र दमाराम
15. गणेशाराम पुत्र देवाराम
16. कलाराम पुत्र प्रहलादराम
17. किस्तुराराम पुत्र प्रहलादराम
18. टीकमाराम पुत्र हीराराम
19. भंवरलाल पुत्र हीराराम
20. रमेश पुत्र हीराराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested

21. रमकूदेवी पत्नी हीराराम
22. मोहनलाल पुत्र नेनाराम
23. लाखाराम पुत्र नेनाराम
    जाति जाट निवासी बांतो की ढाणी, अरटवाव तहसील गुड़ामालानी।

..... प्रतिवादीगण

24. तहसीलदार गुड़ामालानी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः— श्री चिमनसिंह
प्रतिवादीः—श्री जगदीश विश्नोई

वाद अन्तर्गत धारा—183, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादीगण का दावा बाबत बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 427/6.9606 है0 वाके ग्राम बांतो की ढाणी पटवार हल्का सिंधासवा हरनियान तहसील गुड़ामालानी पर नेखमबंदी पालना रिपोर्ट दिनांक 13.05.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार आंशिक भाग बरंग लाल व हरा पर प्रतिवादीगण का कब्जा अवैध होना तथा प्रतिवादीगण का अतिक्रमी घोषित होने के आधार पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द किए जाने बाबत् अनुतोष स्वीकार किया जाता है। साथ ही उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस हद तक पाबन्द किया जाता है कि प्रतिवादीगण विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत न करने के साथ ही प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर बेदखली नहीं करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण न करें।

यह डिक्री आज दिनांक 24.04.2026 को लिखवाई जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:44:12 IST
Reason: SelfAttested